न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 92 / 2022

श्री आशिफ पुत्र जीमल अहमद,
द्वारा बृजवासी एन्टर प्राईजेज ईदगार रोड़ कुम्हेर गेट चौराहा
भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.12.2022**

अपीलार्थी श्री आशिफ पुत्र जीमल अहमद, द्वारा बृजवासी एन्टर प्राईजेज ईदगार रोड़ कुम्हेर गेट चौराहा भरतपुर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 22 / 894 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ सूआ /2022/9018 दिनांक 9.12.2022 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित तथ्यों से जाहिर आया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी ने जरिये पत्र क्रमांक/ क्रमांक/सूआ/2022/5041 दिनांक 25.8.2022 से आपको सूचित कर दिया गया है(जिसकी प्रति सलंग्न है) यानि लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्यास स्तर पर सूचना लम्बित

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर